राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

F.1(a)72/निर्देश/स्वीकार/टिप्पणी/Esst/Ins-01013 दिनांकः– 26.04.2024

परिपत्र – 36

कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के अनुसार राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के एपीएआर मॉड्यूल में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना है। उक्त क्रम में विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.04.2022 द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति करने/ओटो फॉरवर्ड/अप्रूवल किए जाने हेतु निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति की जावे।
2. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा (एक्स कैडर पदों सहित) तथा विभाग में पदस्थापित अन्य सेवाओं के अधिकारी, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 21.05.2021 के अनुसार अनुक्रम का निर्धारण कर अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति करें।
3. मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिक विभागीय परिपत्र दिनांक 20.04.2022 के अनुसार अनुक्रम निर्धारित कर अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति सुनिश्चित करें।
4. 50 वर्ष व इससे अधिक आयु के विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 25.08.2015 एवं कार्मिक(ख–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 की अनुपालना में तीन वर्ष में एक बार चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अथवा राजकीय चिकित्सालय से चिकित्सा परीक्षण(निशुल्क) करवाकर जांच रिपोर्ट की Summary संलग्न करते हुए (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इसका अंकन कर) प्रतिवेदन की पूर्ति करें।
5. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2023–24 का अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के PAR Module (HRMS) में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के निश्चित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसमें कार्मिक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)
निदेशक

RajKaj Ref
6754459

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Director
Date: 2024.04.25 16:37:37 IST
Reason: Approved

F.1(a)72/निर्देश/स्वीकार/टिप्पणी/Esst/Ins-01013/ 924-76 दिनांकः– 26.04.2024

प्रतिलिपि पालनार्थ एवं सूचनार्थ निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीः–मुख्यालय, साधारण बीमा योजना, आरजीएचएस, एमसीडीबीवाई, संभाग कार्यालय एवं जिला कार्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट (सिस्टम) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट http://sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)
निदेशक

RajKaj Ref
6754459

Signature valid

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Director
Date: 2024.04.25 16:37:37 IST
Reason: Approved